

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-13052022-235771
SG-DL-E-13052022-235771

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]	दिल्ली, शुक्रवार, मई 13, 2022/वैशाख 23, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 67
No. 278]	DELHI, FRIDAY, MAY 13, 2022/VAISAKHA 23, 1944	[N. C. T. D. No. 67

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 13 मई, 2022

सं. फा. 6/18/2020—न्यायिक/अधी. विधि./846-852.—उच्च न्यायालय, दिल्ली के परामर्श से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति/पदोन्नति करते हैं—

- (1) श्री गोपाल सिंह चौहान (डीएचजेएस में तदर्थ आधार पर वर्तमान नियुक्ति) को दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के नियम 7 (1) (क) के अंतर्गत दिनांक 01.05.2022 को नियमित रिक्ति हेतु नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु तथा डीएचजेएस में नियमित पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में परिवीक्षा आधार पर रखते हैं।
- (2) दिल्ली न्यायिक सेवा अधिकारी सुश्री प्रभ दीप कौर को दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के पूर्वोक्त अधिकारी के फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के पद रिक्त होने के पश्चात फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के एक पद हेतु तदर्थ आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय को अपेक्षित वचनबंध को प्रस्तुत करने के अधीन उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति हेतु; दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग में सुश्री प्रभ दीप कौर को तदर्थ आधार पर पदोन्नति में समावेशन अथवा वरिष्ठता का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं होगा तथा ऐसे फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के अनिरंतरता के मामले में अधिकारी को उसके दिल्ली न्यायिक सेवा के मूल कैडर में वापिस भेज दिया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 13th May, 2022

No. F. 6/18/2020-Judl./Suptlaw/846-852.—The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi is pleased to appoint/promote the following officers:-

- (1) For the appointment of Mr. Gopal Singh Chauhan (presently appointed on ad-hoc basis in DHJS) on regular basis against the regular vacancy which arose on 01.05.2022 under Rule 7(1)(a) of Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970 and to place him on probation in the Delhi Higher Judicial Service for a period of two years from the date he joins the regular post in DHJS.
- (2) For the appointment of Ms. Prabh Deep Kaur, Officer of Delhi Judicial Service, to Delhi Higher Judicial Service on ad-hoc basis against one post of Fast Track Special Courts arising consequent upon the aforesaid Officer vacating the post of Fast Track Special Courts, subject to her furnishing requisite undertaking to the High Court of Delhi, from the date she assumes charge. The promotion on ad hoc basis shall not confer any right of absorption or seniority on Ms. Prabh Deep Kaur in the cadre of Delhi Higher Judicial Service and in case of discontinuation of such Fast Track Special Courts, the officer shall revert back to her substantive Cadre of Delhi Judicial Service.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secy. (Law, Justice & L.A.)